

विषय-सूची

	संदर्भित	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
अध्याय-1 (विहंगावलोकन)		
परिचय	1.1	1
लेखापरीक्षा-प्राधिकार	1.2	10
लेखापरीक्षा योजना एवं संचालन	1.3	11
लेखापरीक्षा का परिणाम	1.4	11
लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया का अभाव	1.5	12
एसपीएसई के लेखाओं के लेखापरीक्षा की स्थिति	1.6	14
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.7	15
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन	1.8	17
अध्याय-2 (विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाएं)		
पथ निर्माण विभाग		
पथ कार्यों के अनुबंधों में मूल्य समायोजन का प्रबंध	2.1	23
ऊर्जा विभाग		
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा टैरिफ, बिलिंग, राजस्व संग्रहण और सब्सिडी प्रबंधन	2.2	35
वाणिज्य कर विभाग		
जी.एस.टी भुगतान और दाखिल विवरणी पर विभाग की निगरानी	2.3	83
अध्याय-3 (अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं)		
पथ निर्माण विभाग		
अतिरिक्त लागत का बोझ	3.1	129
शहरी विकास एवं आवास विभाग तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग		
सरकारी देय की वसूली न होना	3.2	131
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग		
अधिक भुगतान	3.3	135
ऊर्जा विभाग		
पर्यावरण प्रबंधन कोष की प्राप्ति न होना	3.4	141
कंपनी को घाटा	3.5	142

	संदर्भित	
	कंडिका	पृष्ठ
परिवहन विभाग		
कर प्रशासन	3.6	145
लेखापरीक्षा का परिणाम	3.7	146
परिवहन वाहनों से करों की वसूली न होना	3.8	146
परिवहन वाहनों से एकमुश्त कर की कम वसूली/उगाही	3.9	147
पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण	3.10	149
एक्सल भार का संशोधन न होना	3.11	150
एकमुश्त कर का कम उद्ग्रहण	3.12	152

परिशिष्टियाँ			
परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भित	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या
I	महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन विभागों और स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों/ कंपनियों की सूची	1.1	155
II	बकाये वाले लेखाओं से संबंधित 26 एसपीएसई की सूची	1.6	158
III	मू.स. की गणना के लिए घटकों का मानक प्रतिशत और फॉर्मूला, जैसा कि झा.स. ने अपने मानक बिडिंग दस्तावेजों में अपनाया है	2.1.1	160
IV	लागत एवं समय वृद्धि दर्शाती विवरणी	2.1.3	161
V	कार्य जिसमें मूल्य समायोजन की गणना नहीं की गयी	2.1.4.1	162
VI	मू.स का आधिक्य भुगतान	2.1.4.2	163
VII	कम वसूल किये गए मू.स	2.1.4.3	164
VIII	संवेदकों से अलकतरा का वसूलनीय अंतर लागत	2.1.4.4	165
IX	ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में संग्रहण दक्षता (बकाया को छोड़कर)	2.2.7	166
X	अनियमित वोल्टेज छूट प्रदान करना	2.2.9.7	167
XI	दोषपूर्ण मीटरों को बदलने में देरी के कारण ऊर्जा शुल्क की कम-बिलिंग	2.2.9.8	168
XII	स्ट्रीटलाइट सेवा कनेक्शन की गलत बिलिंग के कारण हानि	2.2.9.12	169
XIII	अ. नौ उपभोक्ताओं का विवरण जिनकी बिलिंग बीच में रोक दी गई थी ब. पांच उपभोक्ताओं का विवरण जिनके बिल नहीं बने थे/ आंशिक रूप से बने थे	2.2.9.12	171
XIV	गलत गुणन कारक (एमएफ) लगाने के कारण ऊर्जा शुल्क और विद्युत शुल्क की कम बिलिंग	2.2.9.15	172
XV	आंशिक अवधि के लिए मीटर प्रतिस्थापन के मामलों में बिलिंग न होना	2.2.9.16	173
XVI	तदर्थ आधार पर ऊर्जा शुल्क की कम बिलिंग	2.2.9.16	174
XVII	गलत औसत बिलिंग के कारण ऊर्जा शुल्क की कम बिलिंग	2.2.9.16	175

परिशिष्टियाँ			
परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भित	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या
XVIII	आकलन न किये गए ऊर्जा इकाइयों का विवरण	2.2.9.20	176
XIX	समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि	2.2.9.20	177
XX	सब्सिडी का अधिक दावा	2.2.10.1	178
XXI	उपभोक्ताओं से अधिक शुल्क और सब्सिडी का अधिक दावा	2.2.10.2	179
XXII	समझौते के अनुसार देय पीआई और एनसीडीपी की तुलना में भुगतान किए गए अतिरिक्त पीआई का अंतर	3.5	180